राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 19/2021

पूर्ण सिंह पुत्र रूप सिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदक

<u>ब–ना–म</u>

1. केशर देवी पत्नी मालीराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. भूमि स्वामी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अनावेदकगण

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता</u> :–

1. श्री अजीत सिंह तंवर – आवेदक की ओर से
2. श्री सुनिल राजोरिया – अनावेदिका सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 30–03–2021

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2078 के खाता संख्या 240 खसरा नंबर 1041 रकबा 0.95 है. का आवेदक खातेदार काश्तकार दर्ज है। आवेदक की भूमि खसरा नंबर 1041 के उत्तर में खसरा नंबर 1035 रकबा 1.20 है. की खातेदारी अनावेदिका सं. 1 केशर देवी पत्नी मालीराम है तथा उसके उत्तर में खसरा नंबर 1036 उसके बाद डामर सड़क स्थित है जो पूर्व से पश्चिम ग्राम बड़ाऊ ग्राम श्रीकृष्ण नगर की ओर जाती है। आवेदक ने अपनी खातेदारी की भूमि में मकानात बना रखे हैं जहां से बड़ाऊ से श्रीकृष्ण नगर जाने वाली सड़क पर पहुंचलने के लिए आवेदक को अपनी खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1041 के उत्तरी–पश्चिमी कौने से अनावेदिका सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1035 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे जाकर सड़क पर जाना पड़ता है। आवेदक के पास यही एक मात्र रास्ता है जिससे अपनी खातेदारी भूमि में ट्रेक्टर आदि साधन ले जा सकता है व काश्त कर सकता है। आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए अनावेदिका सं. 1 की खातेदारी भूमि के पश्चिम में 10 फीट चौड़ाई में 238 फीट लम्बाई में रास्ते की [illegible] सं. 1 यदि चाहे तो उक्त रास्ते की भूमि के बदले आवेदक की खातेदारी भूमि [illegible] रकबा 0.95 है. की उत्तरी सीमा जो अनावेदिका सं. 1 के खसरा [illegible] है, उसमें से 266 फीट लम्बाई व 9.3 फीट चौड़ाई में भूमि ले सकती है। आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 1041 में आने–जाने के लिए रास्ता नहीं होने से भारी परेशानी है। आवेद[illegible] खेत में आने जाने के लिए रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। आवेदक राजस्[illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधानों की पालना करने को तत्पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित आवेदक की खातेदरी भूमि खसरा नंबर 1041 के उत्तर में अनावेदक सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1035 के पश्चिमी ओर सींव के सहारे–सहारे 10 फीट चौड़ाई व 238 फीट लम्बाई में उत्तर से दक्षिण में आवेदक को रास्ता दिलाया जावे जिसमें आवेदक मुख्य सड़क बड़ाऊ से श्रीकृष्णनगर तक सुगमता से जा सके तथा अनावेदिका सं. 1 को बदले में आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1041 के उत्तरी सीमा पर अनावेदक के खसरा नंबर 1035 की दक्षिणी सीमा पर 9.3 फीट चौड़ाई में व 266 फीट लम्बाई में भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के हिस्से में से कम कर अनावेदिका की भूमि में मिलाई जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमीम किया जावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदिका सं. 1 ने इकबाली जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा चाहे गये अनुतोष मुताबिक रास्ता कायम किये जाने पर सहमति दी है।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/538 दिनांक 02.03.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि :–

1. आवेदक पूर्णसिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ राजस्व ग्राम बड़ाऊ के खसरा नंबर 1041 रकबा 0.95 है. जो आवेदक की संयुक्त खातेदारी भूमि है, उसमें मकान बनाकर सपरिवार आबाद है तथा कृषि भूमि को काश्त करता है उसे रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।
2. प्रार्थी का अन्य खातेदार की जोत में से होकर पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी केशर देवी पत्नी मालीराम जाति माली निवासी चंवरा तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद बड़ाऊ की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1035 रकबा 1.20 है. के पश्चिमी सीमा में 10 फुट चौड़ा व 238 फुट लम्बा रास्ता चाहा है जो वर्तमान में अप्रार्थी केशर देवी ने प्रार्थी को दे दिया है। मौके पर रास्ता चालू है। अर्थात् अप्रार्थी की खसरा नंबर 1035 रकबा 1.20 है. में से 221.34 वर्ग मीटर/0.0221 है. भूमि रास्ते में आ रही है। यह प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि के फलस्वरूप प्रार्थी पूर्णसिंह पुत्र रूपसिंह ने अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1041 रकबा 0.95 है. में से अप्रार्थी को 266 फुट लम्बाई व 9.3 फुट चौड़ाई की भूमि उत्तरी सीमा के सहारे तथा अप्रार्थी की दक्षिण सीमा के सहारे जो सींव जोड़ है दे दी गई है।
5. प्रार्थी ने प्रतिकर राशि के रूप में अप्रार्थी को उनकी सींव से लगती हुई भूमि में से 230.66 वर्गमीटर अर्थात् 0.0230 है. भूमि देने की सहमति दी है। अप्रार्थी ने प्रतिकर के रूप में 0.0230 है. भूमि लेने की मौके पर सहमति जताई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 240 ख[illegible] ओंकारसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा 1/24, कुलदीपसिंह पुत्र गिरवरसिंह [illegible]/24, कृष्णाकंवर पत्नी गिरवरसिंह हिस्सा 1/24, गोरधनसिंह पु[illegible] पुत्र रूपसिंह हिस्सा 3/4, प्रदीपसिंह पुत्र गिरवरसिं[illegible] पत्नी हनुमानसिंह हिस्सा 1/24 जाति राजपूत सा.देह की खातेदारी में दर्ज है। आ[illegible]क पूर्णसिंह ने अपना हिस्सा 3/4 में आने जाने के लिए अनावेदिका सं. 1 केशर देवी से उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1035 में से भूमि के बदले भूमि देकर रास्ता चाहने सहमति व्यक्त की है। यहां यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा नंबर 1041 में आवागमन के लिए रास्ता चाहा है उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी एवं अविभाजित है तथा रास्ते के रूप में उपयोग में आनी वाली भूमि के प्रतिकर के स्वरूप अप्रार्थी सं. 1 को भूमि खसरा नंबर 1041 में से ही दी जानी है किन्तु भूमि खसरा नंबर 1041 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण सहखातेदारों की सहमति भी आवश्यक है किन्तु पत्रावली में सहखातेदार न तो पक्षकार हैं तथा ना ही उनकी किसी प्रकार से सहमति है। संयुक्त खातेदारी भूमि में से केवल एक खातेदार किसी स्थान विशेष की भूमि देने हेतु विधिक रूप से सक्षम नहीं है क्योंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत् खाता विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कानूनन उस भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा माना जाता है। अविभाजित भूमि में आने जाने के लिए बिना प्रतिकर चुकाये, भूमि का आपसी विनिमय कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने अनुतोष में रास्ते में आने वाली भूमि बाबत प्रतिकर स्वरूप राशि देने की स्वीकारोक्ति भी नहीं दी है। इस प्रकार आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

आदेश

अतः आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested